

///आदेश///

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (फाइनेन्स विंग) पत्र संख्या 36/1/86-2021/फाइनेन्स/सी0सु0बल/339-640 दिनांक 11 जनवरी 2021 के तहत सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को मिली वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन बुकलेट परिषिष्ट 'बी' की मद संख्या 1 (i) के द्वारा महानिरीक्षक सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, मिजोरम एवं कछार, को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 बटालियन, सीसुबल के CRR 608 of 2020 titled Shekh Raizuddeen @ Riaz v/s State of Punjab & ORs before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court at Chandigarh की पैरवी करने के लिए भुगतान हेतु Shri Satya Pal Jai, ASGI, UOI, Punjab & Haryana High Court at Chandigarh द्वारा प्रेषित लीगल चार्ज बिल संख्या-10 दिनांक 18.12.2022 रुपये 55,500/- (रुपये पचपन हजार पाँच सौ) मात्र का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह खर्च, मुख्य शीर्ष 2055 राजस्व के उप-शीर्ष 00.105 डी जी सीमा सुरक्षा बल के आव्जेक्ट शीर्ष 01.03.28 प्रोफेशनल सर्विसेस (Professional Services) जो कि ग्रान्ट संख्या-51-पुलिस के आधीन है, 29 बटालियन, सीसुबल के प्रोफेशनल सर्विसेस (Professional Services) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित किए गए बजट में से वहन किया जायेगा।

संख्या -विधि/सी.मु.मि.क./सीसुबल/लीगल बिल/2023/207-12
दिनांक 04 मार्च 2023

कुलदीप कुमार विश्वकर्मा
04.03.23

(कुलदीप कुमार विश्वकर्मा)
विधि अधिकारी/सहा0 कमाण्डेंट
सीमांत मुख्यालय, मिजोरम एवं कछार

प्रतिलिपि:-

1. RPAO, Shillong : कृपया आपके सूचनार्थ हेतु।
2. लेखा शाखा, एम एन्ड सी फंटियर। : कृपया वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।
3. क्षेत्रीय मुख्यालय, सी.सु.बल, सी.आई.(आप्स) मणिपुर। : कृपया आपके मुख्यालय के पत्र संख्या 1878-79 दिनांक 09.02.2023 के तहत सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
- ✓ 4. संचार शाखा, एम एन्ड सी फंटियर। : कृपया इस शाखा के पत्रांक सं0 412-35 दिनांक 21 जून 2018 के तहत, सूचनार्थ एवं वेबसाइट में अपडेट करने हेतु।
5. 29 बटालियन, सीसुबल : कृपया क्षेत्रीय मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, सी.आई.(आप्स) मणिपुर के पत्र संख्या 1878-79 दिनांक 09.02.2023 के तहत प्राप्त लीगल चार्ज बिल को सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इस आदेश के साथ संलग्न (बिल की मूल प्रति)कर आपकी वाहिनी को आवश्यक कार्यवाही
6. हिन्दी गार्ड फाईल।
7. फाईल।